

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 15/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 11 फरवरी 2020

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1. श्री गुलाम हुसेन, प्रोपराइटर, मै फार ईस्ट एक्स्पॉर्ट्स, a) ऑफिस का पता: कमरा सं. 602, 15/D, ख्वाजा मंज़िल, छठा तल, निशानपडा रोड, डोंगरी, मुंबई-400009	फ़ा सं DRI/NS/ Int-2/2003 दिनांक 17.05.2004, दिनांक 05.07.2004 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय (De Novo	भूतपूर्व आयुक्त सीमा शुल्क (ईपी), मुंबई भूतपूर्व आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई

<p>b) फ़ैक्टरी का पता: हाउस सं. 301, दरगाह रोड, भिवंडी, ठाणे-421302</p> <p>c) घर का पता: फ्लैट सं. 7, मोगुल पुरा, चारमीनार नवाब की चोल, दरगाह के पीछे, ओल्ड सिटी, हैदराबाद</p> <p>2. श्री मो: हुसेन अब्दुल सत्तार उर्फ मोहसीन अब्दुल सत्तार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मै फार ईस्ट एक्सपोर्ट्स, निवासी: छठा तल, दस्तगीर हाउस, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008.</p>	<p>proceedings ordered vide Orders dated 10.04.2017)</p>		
<p>2. 1. मै एस पी पवार & सन्स, गोकुल बिल्डिंग, कमरा सं. 203, दूसरा तल, 80-A, बड़ौदा स्ट्रीट, मस्जिद ब्येंदर (E), मुंबई-400009,</p> <p>2. श्री श्यामसुंदर एस पवार, दूसरा तल, कमरा सं. 27, गणपति भवन, 18, जहाँगीर महरवान्जी स्ट्रीट, परेल, मुंबई-400012,</p> <p>3. श्री साहेबराव ठोकल, E-1/31, कमरा सं A1, सैक्टर-8, नेरुल, न्यू मुंबई,</p> <p>4. श्री रामदास डोरमाले, A-402, शेल्टर आर्केड, प्लॉट सं. 26, सैक्टर-42, नेरुल, नवी मुंबई,</p>	<p>फ़ा सं DRI/BZU/ F/1/2004 दिनांक 17.02.2005. (De Novo proceedings ordered by CESTAT vide Order No. M/90073- 90081/17/CB dated 03.10.2017)</p>	<p>भूतपूर्व आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), नया कस्टम हाउस, मुंबई. भूतपूर्व आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), जवाहर कस्टम हाउस, न्हावा शेवा.</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई</p>

<p>5. मै सार्डनाथ कलीरिंग एजेंसी, देवजी प्रेमजी बिल्डिंग, कमरा सं. 1, 2^{रा} तल, 13F, चकला एक्स लेन, हनुमान मंदिर के पीछे, मुंबई-400003,</p> <p>6. श्री दिलीप शाह, 128/1020, मोती लाल नगर, गोरेगाँव, मुंबई-400062,</p> <p>7. मै एम डी शिपिंग एजेंसी, 52, मिंटबॅक रोड, डबल व्यू बिल्डिंग, कमरा सं. 16/17, फोर्ट, मुंबई-400001,</p> <p>8. श्री दीपक के जोशी, B-5, मेघ मल्हार, मुरार रोड, मुलुंड वेस्ट, मुंबई-400018 और</p> <p>9. श्री गिरीश मोरेश्वर चुरी, 288, लक्ष्मी निवास, वीर सावरकर मार्ग, दादर वेस्ट, मुंबई-400028.</p>			
--	--	--	--

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-6/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयनन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे